सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

18 AASHADH 1947 (S)

No. 309

RANCHI WEDNESDAY 09th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

09th July, 2025

Notification No.- 06/2025 – State Tax (Rate)

S.O. No. 38, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017-State Tax (Rate), of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words “transmission and distribution” wherever occurring, the words “transmission or distribution” shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil”

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

“(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,”

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -

“(zja) “insurer” has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).”.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2025]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Ameet Kumar)
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note:- The principal notification number 12/2017 - State Tax (Rate) was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification number 08/2024- State Tax (Rate) published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 4, dated the 22nd March, 2025.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 06/2025- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. **38**, दिनांक **9 जुलाई, 2025** – झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), जिसे झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36"ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम 1988) 1988 ,का (59की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वो बीमा सेवाएं जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से योगदान के विरुद्ध प्रदान की गयी हैं	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड़) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार,"

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यत्र) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(यत्रक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में दिया गया है।"।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2025]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(अमीत कुमार)

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर) एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024- राज्य कर (दर), जिसे झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में, एस. ओ. सं. 4, दिनांक 22 मार्च, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 310-- 50.